न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंझौल, बेगूसराय

<u>परिवाद संख्या –12 / 2020</u>
सरमदा देवी बनाम् राजकुमार महतो वगैरह

दिनांक : 08 / 04 / 2021

अभियुक्तों राजकुमार महतो, राहुल कुमार, बबीता कुमारी, पूजा कुमारी, हरि देवी एवं ललिता देवी की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। जमानत आवेदन की प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दिया गया। आवेदन प्रचालित हुआ।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तों बिल्कुल निर्दोष है। किसी भी वरीय न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन दाखिल नहीं किये हैं। यह कि आवेदक अभियुक्तों को फर्जी तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। यह कि आवेदक अभियुक्तों किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किये हैं। इस वाद में अभियुक्तों की समन के उपरांत प्रथम उपस्थिति है। प्रस्तुत वाद में धारा – 379 भा0 दं0 वि0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय हैं। आवेदक अभियुक्त श्रीमान के आदेशानुसार बंध पत्र न्यायालय में दाखिल करने हेतु तैयार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने कृपा प्रदान करें। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तों के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा – 147, 323, 379, 504 के अंतर्गत समन निर्गत किया गया था। सभी धाराएं जमानतीय हैं, सिवाय धारा – 379 भा0 दं0 वि0 के। समन प्राप्ति के उपरांत सभी अभियुक्त स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को जमानत पर, 5<u>000 / 1</u> के बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्या0 दंडा0 प्र0 श्रेणी

तत्पश्चात
08.04.2021 : अभियुक्तों द्वारा आदेशित राशि का बंध पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया , जिसे जांचोपरांत सही पाकर **<u>स्वीकृत</u>** किया जाता है एवं अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्या0 दंडा0 प्र0 श्रेणी